कार्यालय क्षेत्रीय वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

Phone - 07653-222217, Fax - 07653- 222217, ☏ - 9424794505
E-mail -dfoumaria@gmail.com/ dfotumaria@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 3445 /उमरिया, दिनांक/ 28-6-18

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
(डी.आर.सी.)
म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.क.लिमिटेड
शहडोल (म.प्र.)

विषयः— **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत जिला उमरिया के अविघुतीकरण ग्राम सांस से चिनकी के विघुतीकरण हेतु 11 केव्ही विघुत लाईन में प्रस्तावित वनभूमि 1.098 हे. का व्यपवर्तन की स्वीकृति बावत्**

संदर्भः— **आपका पत्र क्र0/811 दिनांक 16.03.2018**

—

विषयांकित प्रकरण मे म0प्र0 शासन वन विभाग के पुत्र क्र0/एफ—5—11/2006/10—3 भोपाल दिनांक 31 मई 2014 मे प्रयोजित अधिकार के तहत मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त शहडोल पत्र क्र0/मा0चि0/2018/716 दिनांक 24.01.2018 एवं 3393 दिनांक 14.05.2018 द्वारा प्राप्त सहमति अनुसार ग्राम सांस से चिनकी के विघुतीकरण हेतु 11 केव्ही विघुत लाईन में प्रस्तावित वनभूमि कक्ष क्र. आरएफ 281 रकवा 0.1350हे0, आरएफ 283 रकवा 0.4615हे0, आरएफ 284 रकवा 0.0450 हे0 तथा आरएफ 285 रकवा 0.1350हे0 कुल रकवा 1.098 हेक्टेयर वनभूमि, म0प्र0 शासन, वन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 31 मई 2014 द्वारा संसूचित अनु क्रमांक 3.3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन वनभूमि व्यपवर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृत प्रदान की जाती है :—

1. प्रकरण वनभूमि का व्यपवर्तन 1.098 हे0 मात्र है।
2. व्यपवर्तित वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
3. वनभूमि का उपयोग केवल जलाशय निर्माण के लिए होगा।
4. विघुत लाईन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 438 वृक्ष है, किन्तु उक्त क्षेत्र में इन्सुलेटेड लाईन डाला जाना प्रस्तावित है जिससे वृक्षो की कटाई नही होगी।
5. प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र के बाहर है।
6. आवेदक विभाग व्यवपर्तित वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान उसके चारो ओर वन्य पशु/वृक्षों को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार होगें तथा उनको संरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेगें।

7. वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण मे क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक, पर्यावरण मंत्रालय एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अनुश्रवण कर सकेगे।

8. भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्र0/एफ–5–3/2007/एफ–सी. दिनांक 05.02.2009 द्वारा निर्धारित नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि रू 8,81,694/– (रूपये आठ लाख इक्कयासी हजार छः सौ चौरानवें) संलग्न प्रपत्र 01 एवं 02 में दर्शाये अनुसार एहडॉक कम्पनसेटरी अफरेस्टेशन फण्ड मैनेजमेन्ट एवं प्लानिंग एजेंसी (कैम्पा) RTGS के माध्यम से जमा कर स्टेटमेन्ट जमा रसीद की प्रति यू.टी.आर. नम्बर सहित प्रस्तुत करे।

9. आवेदक विभाग वचन पत्र दो प्रति मे देवे कि यदि वनसंरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगायी जाती है तो वह उन्हे मान्य होगी।

उपरोक्त समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, तदानुसार अंतिम स्वीकृति जारी की जावेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(एम.एस. भगदिया)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)

पृ0कमॉक/मा.चि./ 3446 उमरिया/दिनॉक 28.6.18

प्रतिलिपि –

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला उमरिया की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उपवनमंडलाधिकारी पाली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी घुनघुटी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)

प्रपत्र – 1

क्र.	मद का नाम	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	मु.व.सं. की तकनीकी स्वीकृति की राशि (वनीकरण योजनाओं हेतु)	आवेदक संस्था से कुल प्राप्त किये जाने योग्य राशि
1	2	3	4	5	6
1	क्षतिपूरक वनीकरण	-	-	-	-
2	अति क्षतिपूरक वनीकरण	-	-	-	-
3	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	1.098	881694.000	-	881694.000
4	दाण्डिक रोपण	-	-	-	-
5	कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट	-	-	-	-
6	सेफ्टी जोन	-	-	-	-
7	संरक्षित वन के लिये अतिरिक्त शुल्क	-	-	-	-
8	अन्य शुल्क (यदि कोई हो)	-	-	-	-
	कुल योग :–		**881694.000**	**0.000**	**881694.000**

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)

प्रपत्र – 2

क्र.	वनों की ईको वैल्यू श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	वनों का घनत्व	निर्धारित दर (एन.पी.व्ही. हेतु)	आवेदक संस्था से प्राप्त किये जाने योग्य राशि
1	2	3	4	5	6
1	III ऊर्ष्ण कटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती वन	1.098	0.5 मध्यम घनत्व	803000.00	881694.00
	कुल योग :–				**881694.00**

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)